सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 137 राँची, बुधवार, 25 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 फरवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-77/2016(भाग-I) का०- 926 --श्री मतियस विजय टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-863/03), तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1041/रा०, दिनांक 18.03.2015 एवं पत्रांक-1923/रा०, दिनांक 07.05.2015 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के द्वारा गठित दो आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्रों में श्री टोप्पो के विरूद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के परन्तुक-II का दुरूपयोग कर ऐसे कुल-391 मामले, जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के substantial structure नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिये बिना समुचित जाँच किये आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-4766, दिनांक 29.05.2015 द्वारा श्री टोप्पो को तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं0-9217, दिनांक 20.11.2019 द्वारा श्री टोप्पो को दिनांक 01.10.2017 की तिथि से निलम्बन मुक्त किया गया।

3. विभागीय संकल्प सं0-5450, दिनांक 18.06.2015 द्वारा श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-140 दिनांक 11.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री टोप्पो के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. श्री टोप्पो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-8701 दिनांक 04.08.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर श्री टोप्पो से द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं स्मार पत्रों द्वारा स्मारित भी किया गया।

7. श्री टोप्पो द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं कर बार-बार आवेदन देकर मामले को विलंबित करने का प्रयास किया जाता रहा। समीक्षोपरांत श्री टोप्पो के आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में उक्त दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-5374, दिनांक 18.07.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई।

सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2079, दिनांक 10.09.2018 द्वारा श्री टोप्पो को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर सहमति संसूचित की गई है।

9. श्री टोप्पो द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका W.P.(S) No.-864/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 23.07.2018 को अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"In the meantime final order in the departmental proceeding initiated against the petitioner shall not be passed."

पुनः W.P.(S) No.-864/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08. 2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"Post the matter after six weeks.

Interim order dated 23.07.2018 shall continue."

10. रिट याचिका सं०-W.P.(S) No. 864/2018 में विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-6159, दिनांक 31.07.2019 द्वारा विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड से अनुरोध किया गया तथा समय-समय पर उक्त आदेश को Vacate करने हेतु स्मारित किया गया।

11. W.P.(S) No.-864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को पारित आदेश निम्नवत् है

"The interim order dated 10.10.2017 in W.P.(S) No.- 5641/2017 and 23.07.2018 in W.P.(S) No.- 864/2018, passed by this court, stand vacated.

The respondents are directed to proceed."

12. W.P.(S) No.- 864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में श्री टोप्पो के

विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने संबंधित प्रस्ताव एवं संलेख पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

13. तत्पश्चात् दिनांक 29.01.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री टोप्पो को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने संबंधित प्रस्ताव मद सं0-04 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं स्वीकृत किया गया।

14. मंत्रिपरिषद की स्वीकृति उपरांत विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 द्वारा श्री टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

15. उक्त दण्ड अधिरोपित किये जाने के उपरांत W.P. (S) No.- 864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में श्री टोप्पो के द्वारा संशोधित रिट याचिका दायर किया गया। उक्त संशोधित रिट याचिका में श्री टोप्पो द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

16. W.P.(S) No- 864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक 10.11.2025 को पारित आदेश में श्री टोप्पो के विरूद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्त करने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 को निरस्त कर दिया गया।

साथ ही, प्रासंगिक मामला विभाग को वापस करते हुए न्यायादेश में दिये गये निदेशों के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"37. Under the circumstances, the impugned Dismissal Order dated 30.01.2025 (i.e. Annexure-IA/1 in I.A. No.5001 of 2025) is set aside with the direction to the respondents to pass a fresh order by giving opportunity of hearing to the writ petitioner under the relevant provisions of law by holding necessary Proceeding against him in accordance with law including the proceeding initiated under the provisions of Jharkhand Pension Rules by providing some documents to the petitioner to take his probable defence and the same shall be disposed of within a period of six months from the date of receipt/production of a copy of this order in accordance with law and the respondents will be at liberty to take a decision afresh.

38. It is further clarified that merely setting aside of the order of dismissal dated 30.01.2025 will not make the petitioner entitled for his G.P.F., Gratuity and other pensionary benefits and the same will be dependent upon the finding of further enquiry and the respondents will be at liberty to initiate necessary disciplinary proceeding/ proceedings under provisions of Jharkhand Pension Rules in accordance with law and

they will be liberty to pass necessary order in accordance with law after deciding the case of the petitioner on merit by affording him reasonable opportunity of hearing.

39. Thus, in view of the discussions made above and in view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court and also on the facts and in the circumstances of the case, the order of dismissal dated 30.01.2025 passed by the respondent authorities is hereby set aside and the matter is remitted back to the respondent authorities to pass a fresh order within six months in accordance with law from the date of receipt/production of a copy of this order.

40. All the pending Interlocutory Applications, if any, stand disposed of.

41. Thus, this W.P.(S) No. 864 of 2018 is allowed with the aforesaid observation and direction."

17. अतः W.P.(S) No- 864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक 10.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(i) श्री मतियस विजय टोप्पो, झा०प्र०से०, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को विलोपित किया जाता है। उक्त विलोपन आदेश के फलस्वरूप श्री मतियस विजय टोप्पो को जी०पी०एफ०, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवांत लाभ देय नहीं होगा। उक्त लाभ श्री टोप्पो के विरूद्ध पेंशन नियमावली के तहत् नये सिरे से संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा।

(ii) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(5) के आलोक में सेवा से बर्खास्त किये जाने की तिथि दिनांक 30.01.2025 से श्री मतियस विजय टोप्पो को निलंबित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 137 - 50